

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 628

रीवा, दिनांक : 8-12-2021


अधिसूचना

प्राचार्य, शासकीय आर.व्ही.पी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उमरिया के पत्र क्रमांक 698/स्था./2021 दिनांक 15-7-2021 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक-09 में की गई संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, शासकीय आर.व्ही.पी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उमरिया की स्ववित्तीय योजनान्तर्गत संचालित एम.एससी. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध प्राणिशास्त्र, रसायनशास्त्र एवं एम.काम. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध कक्षा/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021-2022 से समाप्त की जाती है।


कुलसचिव
25/11/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्राचार्य, शासकीय आर.व्ही.पी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उमरिया।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव, परीक्षा, प्रशासन विभाग।
7. सहायक कुलसचिव - गोपनीय, अकादमिक।
8. वित्ताधिकारी।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त महाविद्यालय में उपर्युक्तानुसार संचालित कक्षा/पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट से हटाया जाय।
10. सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नवभारत, नवस्वदेश, विन्ध्य भारत की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. कुलपति जी के सचिव
12. कुलसचिव के निज सहायक।
13. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)
3/12/21

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 635

रीवा दिनांक : 14-12-2021

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय स्नातक महाविद्यालय
गुड, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2014-15 एवं 2015-16 बावत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक 2(02) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिणियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र क्रमशः 2014-15 एवं 2015-16 के लिए कक्षा/विषयों में कार्योत्तर अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एससी. द्वितीय, तृतीय वर्ष भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित।
2.	बी.काम. द्वितीय, तृतीय वर्ष।

आदेशानुसार,
कुलसचिव 13/12/21
3/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
4. उप कुलसचिव - परीक्षा, प्रशासन विभाग।
5. सहायक कुलसचिव - गोपनीय, अकादमिक।
6. वित्त नियंत्रक।
7. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलपति जी के सचिव।
9. कुलसचिव के निज सहायक।
10. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)
14-12-2021
3/12/21

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 639

रीवा दिनांक : 20-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
श्री रामकृष्णा कालेज आफ कामर्स एण्ड साइंस
सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2020-2021 एवं 2021-2022 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28-10-2021 के आइटम क्रमांक (अध्यक्ष की अनुमति से) 01 की अनुशंसा एवं अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत माननीय कुलपति जी द्वारा किये गये अनुमोदन अनुसार पत्र क्रमांक/विकास/2021/561 रीवा दिनांक 08-10-2021 में आंशिक संशोधन करते हुए सत्र 2020-2021 एवं 2021-2022 के लिए छात्रहित में अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है। इसे भविष्य में उदाहरण नहीं माना जाय -

क्र.	कक्षा/विषय
1	डिप्लोमा इन फैशन टेक्सटाइल पाठ्यक्रम-100सीट

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति की जाय।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
Handwritten Signature
कुलसचिव 20/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
4. उप कुलसचिव - परीक्षा, प्रशासन।
5. सहायक कुलसचिव - गोपनीय, अकादेमिक।
6. वित्त नियंत्रक।
7. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

Handwritten Signature
20/12/2021
सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 642

रीवा दिनांक : 21-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
स्व. जाहिदखान महाविद्यालय
गुड़, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।


विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(02) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-220-220सीट।
2	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-180-180सीट।
3	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120-120सीट।
4	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-आधार पाठ्यक्रम, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-प्रति ग्रुप 250-300सीट।
5	एम.एस.डब्लू. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-150सीट।
6	एम.एस.सी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-कम्प्यूटर-70सीट।
7	एम.काम. पूर्वाह्न/उत्तराह्न -कम्प्यूटर-70सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेंटर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/643

रीवा दिनांक : 21-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
टाटा कालेज जमौड़ी खुर्द
सीधी (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(40) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनिियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।
2	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, भौतिकशास्त्र, बायोटेक्नालाजी, माइक्रोबायलाजी, जुलाजी, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, गणित, कम्प्यूटर साइन्स (अतिरिक्त विषय)-120सीट प्रतिसमूह।
3	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - समस्त अनिवार्य विषय, टेक्शेशन एन्सोरेन्स, कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120सीट।
4	बी.एड. पाठ्यक्रम समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।
5	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-60सीट।
6	एम.काम. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-40सीट।
7	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न बायोटेक्नालाजी, बायोकेमेस्ट्री, कम्प्यूटर साइन्स-40-40-40सीट।
8	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-150सीट।
9	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी, समाजशास्त्र, कम्प्यूटर, (अतिरिक्त विषय) इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र-120 सीट प्रतिसमूह।
10	पी.जी.डी.सी.ए.-150सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 644

रीवा दिनांक : 21-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
टाटा बी.एड. कालेज
सगरा, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।


विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(12) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एड. पाठ्यक्रम समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।
2.	बी.एससी.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम-एक यूनिट-50सीट।

नोट -


1. एन.सी.टी.ई. नार्म्स/ कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव 03/12/21
ई

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)
ई

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/645

रीवा दिनांक : 21-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
टी.डी. शिक्षा महाविद्यालय
लक्ष्मणपुर लौआ, रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(20) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एड. पाठ्यक्रम - समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।
2.	बी.एससी.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम-100सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 646

रीवा दिनांक : 21-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
ज्योत्सना बी.एड. कालेज
हडबड़ो, जिला सीधी (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(44) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम-दो वर्षीय-100सीट।

आदेशानुसार

कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/649

रीवा दिनांक : 21-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
ईश्वर चन्द्र विद्या सागर महाविद्यालय
जवा, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(19) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए. भाग 1,2,3 - आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र-प्रत्येक विषय समूह में 120-120सीट कुल 960सीट।
2	बी.एससी. भाग 1,2,3 - आधार पाठ्यक्रम, भौतिकी, रसायन, वनस्पति, प्राणिविज्ञान, भूगर्भशास्त्र एवं गणित-120-120 प्रत्येक विषय समूह में 600सीट।
3	एम.एससी. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध - रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भौतिकशास्त्र, भूगर्भशास्त्र एवं गणित-40-40सीट।
4	एम.ए. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध - अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी-40-40सीट।
5	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-80-80सीट।

नोट -

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं नियमानुसार सभी पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं को और व्यवस्थित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

- उप कुलसचिव - परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
- सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/650

रीवा दिनांक : 22-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
पं. चन्द्रशेखर शिक्षा महाविद्यालय
सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(16) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एड. पाठ्यक्रम-100सीट।

आदेशानुसार

कुलसचिव

03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/651

रीवा दिनांक : 22-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
श्री इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज
सिविल लाइन, जयन्ती कुंज, रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(19) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-120-120सीट।
2.	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-120-120सीट।
3.	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष प्लेन एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120-120सीट।
4.	एम.एस.डब्लू. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-180सीट।
5.	पी.जी.डी.सी.ए.-160सीट।
6.	पी.जी. डिप्लोमा योगिक साइंस पाठ्यक्रम-60सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 में कम्प्यूटर साइंस, कामर्स एवं योगिक साइंस में शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. पाठ्यक्रमानुसार पुस्तकालय में पुस्तकों में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/652

रीवा दिनांक : 22-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
जी.के. मेमोरियल कालेज आफ एजुकेशन
चाकघाट, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(10) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -


क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।

आदेशानुसार,


कुलसचिव 03/12/21


प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)


अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 653

रीवा दिनांक : 22-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
यमुना प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय
सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(12) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	एम.ए. पूर्वाह्न/उत्तराह्न - समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, भूगोल, संस्कृत, हिन्दी-60-60सीट।
2	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, वनस्पति, भौतिकी, रसायन, प्राणिविज्ञान, गणित, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर साइंस-350सीट।
3	बी.लिब.-60सीट।
4	बी.ए. प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष - उर्दू-60-60सीट।
5	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-कम्प्यूटर एप्लीकेशन (अतिरिक्त विषय)-160सीट।
6	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-75सीट।
7	पी.जी.डी.सी.ए.-75सीट।
8	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - समस्त अनिवार्य विषय-60सीट।
9	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न - रसायनशास्त्र -50सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत सभी विषयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. पाठ्यक्रमानुसार पुस्तक संख्या में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, 'अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 654

रीवा दिनांक : 22-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
सरस्वती विज्ञान महाविद्यालय
निराला नगर, रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(18) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष - समस्त अनिवार्य विषय-120-120सीट।
2	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष - आधार पाठ्यक्रम, गणित, भौतिकी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायनशास्त्र, बायोटेक्नालाजी-120-120सीट।
3	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - समस्त अनिवार्य विषय, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120-120सीट।
4	बी.ए. आनर्स प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष - हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र-320सीट।
5	एम.एस.डब्लू. प्रथम, द्वितीय वर्ष-60सीट।
6	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-आधार पाठ्यक्रम, संस्कृत, गणित, (कम्प्यूटर एप्लीकेशन मात्र प्रथम वर्ष)-60सीट।
7	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित-प्रति विषय-30सीट।
8	एम.काम. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-मैनेजमेन्ट-60सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत सभी पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. अध्ययन कक्षाओं, पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर लैब आदि को और व्यवस्थित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
कुलसचिव
23/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 655

रीवा दिनांक : 22-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
नेशनल बी.एड. कालेज
रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(22) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम - समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।

नोट -

1. एन.सी.टी.ई. नार्म्स/कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।


उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 656

रीवा दिनांक : 22-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
जवाहरलाल नेहरू कालेज आफ एजुकेशन
रतहरा, रीवा (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(06) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. पाठ्यक्रम समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।

नोट -

1. एन.सी.टी.ई. नार्म्स/कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय को उन्नत करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेंटर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/657

रीवा दिनांक : 22-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय मनिकवार,
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(24) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1	एम.ए. पूर्वाह्न/उत्तराह्न - समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास -40-40सीट।
2	एम.काम. पूर्वाह्न/उत्तराह्न - समस्त अनिवार्य विषय-40-40सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. पुस्तकालय में विषय से संबंधित पुस्तकों की वृद्धि करें।
3. कम्प्यूटर्स की समुचित व्यवस्था करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/658

रीवा दिनांक : 22-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
श्री रामाकृष्णा कालेज आफ ला
भरहुत नगर, सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(15) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनिियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1.	एलएल.बी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)-120-120सीट।
2.	बी.ए.एलएल.बी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ष (पांचवर्षीय पाठ्यक्रम)-180-180सीट।
3.	एलएल.एम. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-60-60सीट।

नोट -

1. बी.सी.आई. निरीक्षण दल द्वारा मान्यता हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें।
2. बी.ए.एलएल.बी. पाठ्यक्रम हेतु विधि के मुख्य विषयों के अतिरिक्त विषयों के शिक्षकों की कालेज कोड 28 के अन्तर्गत नियुक्ति सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 659

रीवा दिनांक : 22-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
श्री रामाकृष्णा कालेज आफ एजुकेशन,
भरहुत नगर, सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(10) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एड. पाठ्यक्रम-100सीट।
2.	बी.ए.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम-100सीट।
3.	बी.एससी.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम-150सीट।
4.	बी.एल.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम-50सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,
कुलसचिव 03/12/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 661

रीवा दिनांक : 22-12-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
एस.आई.टी. विद्यापीठ
जमोड़ी, सीधी (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021-2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 3(37) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -


क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम-100सीट।

नोट -

1. एन.सी.टी.ई. नार्म्स/कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।


आदेशानुसार


कुलसचिव 03/12/21



प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. उप कुलसचिव - परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव - गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)